न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–77/2015 (GCMS No. 2015/00078) दायरा दिनांक :– 17.04.2015

:: अनवान ::–

1.पूजा पुत्री कालूराम
2.जयपाल पुत्र कालूराम
} जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता वादीया नं. 3 कलावती।

3.कलावती बेवा कालूराम पुत्र भादरराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1.भादरराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़
2.महेन्द्र
3.सुलोचना
4.केशरदेवी
} पुत्र व पुत्रीया भादरराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

6.उप पंजीयक, राजियासर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,183,188,207,209 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
2.श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1
3.श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 व 4
4.पैरोकार राज, तहसीलदार, सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :–30.01.2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया नं. 3 की शादी प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र कालूराम के साथ हुई थी। कालूराम व वादीया नं. 3 के नुत्फ से वादी सं. 1 व 2 पैदा हुए है, जो अब वादीया सं. 3 के साथ ननिहाल में रह रहे है। वादी सं. 1 व 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पति कालूराम की मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से हो गई है। प्रतिवादी सं. 1

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के नाम से चक अमरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 33 में 7.337 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 1.467 हैक्टर है। ग्राम चक गोदारान की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर रकबा दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कुल रकबा 15.938 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 1.104 हैक्टर रकबा हिस्सा में आता है। ग्राम चक अमरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 47 में 3.289 हैक्टर बारानी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.219 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में व इसी प्रकार इसी ग्राम की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 48 में 2.024 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.405 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आता है। इस प्रकार चारा खातों में कुल 3.195 हैक्टर बारानी रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। इस प्रकार उपर्युक्त जैरवाद रकबा में वादीगण के पिता/पति का 1/3 हिस्सा यानि 1.650 हैक्टर रकबा आता है। जैरवाद रकबा पैतृक है, प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता घेरूराम से प्राप्त हुआ है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 बाजवूद समन उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 07.01.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजवीर भादू ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 24.01.2017 को स्वीकार कर जवाब दावा हेतु अवसर दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 27.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सुथार ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 31.01.2017 को स्वीकार कर जवाब दावा हेतु अवसर दिया गया। इसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिस पर वादीगण का जवाब लिया गया। दिनांक 25.01.2018 प्रार्थना पत्र निरस्त कर जवाब दावा हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा आने के बाद निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :—

1. आया जैरवाद भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 भादरराम के पास पैतृक व परीवार को भरण भोषण के लिए आवंटित भूमि है। (वादीगण)
2. आया वादीगण नम्बर 1—2 के पिता व 3 के पति स्व0 कालूराम का अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 1 की जैरवाद भूमि में उनके जीवनकाल में ही हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी हक है। (वादीगण)
3. आया वादीगण के पिता/पति के स्वर्गवास हो जाने के कारण वादीगण का उस हिस्सा में विरास्तन हक होने से वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 1 से अपने हक तक का हिस्सा घोषित करवाने के कानूनी हकदार है व खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार है। (वादीगण)
4. आया प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के हिस्सा तक की भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है व वह जरिये पुलिस बेदखल करवाने के हकदार है। (वादीगण)
5. आया दोराने दावे के समय का प्रतिवादी नम्बर 1 से वादीगण फसली हिस्सा वादी प्राप्त करने के हकदार है व उसके विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। (वादीगण)
6. आया दावा में वर्णित भूमि पैतृक नही होने से वाद पत्र चलने योग्य नही है। (प्रतिवादी)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

7. आया सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाने एवं वाद चलने योग्य नही है। (प्रतिवादी)
8. आया कि जैरवाद रकबा 1955 बाद का एवं 1955 पूर्व का होने के कारण टेनेंसी के प्रावधान लागू नही होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानों के तहत चलने योग्य नही है। (प्रतिवादी)
9. आया कि उक्त जैरवाद रकबा में वादीगण के पिता का हक हिस्सा 1/5 की घोषणा करवाने के पात्र है। (प्रतिवादी)
10. अन्य अनुतोष।

उक्तानुसार बाद कायमी तनकीयात वादीगण ने शपथ पत्र पर साक्ष्य करवाये। वादी संख्या 3 कलावती व गवाह रामकुमार व नारायणराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य वादी बंद किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिस पर वकील वादीगण द्वारा जिरह समाप्त की गई। अन्य साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता घेरूराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार रकबा जैरवाद होने से वादीगण के पिता व पति की मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त रकबा को घोषित करवाने के हकदार है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने बताया कि उक्त जैरवाद रकबा में से ग्राम चक अमरपुरा का रकबा खातेदारी नही है। खातेदारी नही होने के कारण प्रतिवादी को किसी प्रकार के अधिकारों का सर्जन नही होता है इसलिये बिना अधिकारों के वादीगण की घोषणा नही की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 समेत पांच वारिसान है इसलिये वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा का ही हकदार है। किन्तु जैरवाद रकबा में से ग्राम चक अमरपुरा का रकबा खातेदार नही होने से वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी नही है इसलिये वाद पत्र निरस्त योग्य है। वाद पत्र निरस्त किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 2–4 ने भी जवाब दावा को दोहराते हुए वाद वादीगण निरस्त करने का निवेदन किया।

तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से है :

<u>तनकी संख्या 1:– आया जैरवाद भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 भादरराम के पास पैतृक व परीवार को भरण भोषण के लिए आवंटित भूमि है।</u> (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जैरवाद रकबा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 भादरराम के पिता घेरूराम के नाम से था। जो बाद में प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुआ है। यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है तथा प्रतिवादीगण ने भी यह स्वीकार किया है। इसलिये यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

तनकी संख्या 2:— आया वादीगण नम्बर 1—2 के पिता व 3 के पति स्व0 कालूराम का अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 1 की जैरवाद भूमि में उनके जीवनकाल में ही हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी हक है। (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जैरवाद रकबा चक अमरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 33 में 7.337 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 1.467 हैक्टर है। इसी ग्राम के खाता संख्या 47 में 3.289 हैक्टर बारानी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.219 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में व इसी प्रकार इसी ग्राम की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 48 में 2.024 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.405 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आता है। उपर्युक्त तीनों खाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी ना होकर 1955 से पूर्व का एवं 1955 से बाद का रकबा है। इसलिये उक्त तीनों खातों का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार नही होने से उसे किसी प्रकार का अधिकार सर्जित नही होता है। इसलिये उक्त रकबा खातेदारी नही होने से वादीगण के अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम चक गोदारान की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर रकबा दर्ज है, जिसमें 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 1.104 हैक्टर रकबा हिस्सा में आता है, उक्त रकबा खातेदारी है। जो कि उसके अपने पिता से विरास्तन प्राप्त होने से पैतृक सम्पति साबित है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 समेत 5 वारिसान होने से वादीगण के पिता/पति का 1/5 हिस्सा साबित है। इस प्रकार ग्राम चक गोदारान के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर में 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.220 हैक्टर वादीगण का साबित होता है। अतः उक्त तनकी आंशिक बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी संख्या 3:— आया वादीगण के पिता/पति के स्वर्गवास हो जाने के कारण वादीगण का उस हिस्सा में विरास्तन हक होने से वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 1 से अपने हक तक का हिस्सा घोषित करवाने के कानूनी हकदार है व खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार है।

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। तनकी संख्या 3 का सम्बन्ध तनकी संख्या 2 से है। ग्राम चक गोदारान के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर में 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.220 हैक्टर रकबा में वादीगण का हक व हिस्सा बनता है। ग्राम चक अमरपुरा का रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी न होकर, 1955 से पूर्व व 1955 से बाद को होने के कारण उसके अधिकारों का सर्जन नही होने से वादीगण के अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। इसलिये उक्त तनकी आंशिक ग्राम चक गोदारान के हिस्सा तक बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:— आया प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के हिस्सा तक की भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है व वह जरिये पुलिस बेदखल करवाने के हकदार है। (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि वादीगण के पिता के जीवनकाल में ही रकबा अलग से काश्त करता आ रहा है किन्तु अब मौका पर खाली है, प्रतिवादीगण अतिक्रमी नही है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। किन्तु वादीगण ने इसका प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। इसलिये प्रतिवादीगण के शपथ पत्र पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

तनकी संख्या 5:— आया दोराने दावे के समय का प्रतिवादी नम्बर 1 से वादीगण फसली हिस्सा वादी प्राप्त करने के हकदार है व उसके विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है।

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी संख्या 4 से था। तनकी संख्या 4 वादीगण के विरूद्ध होने से यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 6:— आया दावा में वर्णित भूमि पैतृक नही होने से वाद पत्र चलने योग्य नही है।

(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जैरवाद रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता घेरूराम से प्राप्त हुआ है। जो कि दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है तथा प्रतिवादीगण ने भी इसे अस्वीकार नही किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी जिरह में इसे स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 7:— आया सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाने एवं वाद चलने योग्य नही है।

(प्रतिवादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में अंकित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सहकाश्तकार की हैसियत से अंकित है। वादीगण ने पैतृक सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा चाही है। दावा खाता विभाजन का नही है। इसलिये सह काश्तकारों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है। इसलिये उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 8 :— आया कि जैरवाद रकबा 1955 बाद का एवं 1955 पूर्व का होने के कारण टेनेंसी के प्रावधान लागू नही होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानों के तहत चलने योग्य नही है।

(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जैरवाद रकबा चक अमरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 33 में 7.337 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 1.467 हैक्टर है। इसी ग्राम के खाता संख्या 47 में 3.289 हैक्टर बारानी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.219 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में व इसी प्रकार इसी ग्राम की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 48 में 2.024 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा यानि 0.405 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आता है। उपर्युक्त तीनों खाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी ना होकर 1955 से पूर्व का एवं 1955 से बाद का रकबा है। इसलिये उक्त तीनों खातों का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार नही होने से उसे किसी प्रकार का अधिकार सर्जित नही होता है। इसलिये उक्त रकबा खातेदारी नही होने से वादीगण के अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 6 पर

तनकी संख्या 9:— आया कि उक्त जैरवाद रकबा में वादीगण के पिता का हक हिस्सा 1/5 की घोषणा करवाने के पात्र है। (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी संख्या 1 सहित उसके दो पुत्र व दो पुत्रियां है। इस प्रकार कुल 5 वारिस है। अतः वादीगण के पिता का हक व हिस्सा 1/5 बनता है। वादीगण के अपने पिता के बनने वाले 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी भी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 ता 5 को वादी द्वारा सिद्ध किया जाना था, जबकि वादी पूर्ण रूप से तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में सफल रहा है। तनकी संख्या 2 व 3 आंशिक उनके पक्ष में निर्णित की गई है तथा तनकी संख्या 4 व 5 उनके विरूद्ध निर्णित की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 6 से 9 को सिद्ध किया जाना था। प्रतिवादीगण ने तनकी संख्या 6 व 7 उनके विरूद्ध तथा तनकी संख्या 8 व 9 उनके हक में निर्णित की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के ग्राम चक गोदारान की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर रकबा दर्ज है, जिसमें 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 1.104 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या–1 भादरराम के नाम अंकित है, जिसमें वादीगण को 1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप ग्राम चक गोदारान के खाता संख्या 6 में प्रतिवादी संख्या–1 भादरराम के हिस्सा 1.104 हैक्टर रकबा में से 0.220 हैक्टर रकबा कलमजन कर वादीगण के नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.पूजा पुत्री कालूराम
2.जयपाल पुत्र कालूराम
} जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता वादीया नं. 3 कलावती।

3.कलावती बेवा कालूराम पुत्र भादरराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1.भादरराम पुत्र घेरूराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़

2.महेन्द्र
3.सुलोचना
4.केशरदेवी
} पुत्र व पुत्रीया भादरराम जाति जाट निवासी पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

6.उप पंजीयक, राजियासर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–88,183,188,207,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 77 वर्ष 2015 (GCMS 2015/00078) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई, वकील प्रतिवादी संख्या 1 श्री राजवीर भादू, वकील प्रतिवादी संख्या 2–4 श्री सुरेन्द्र सुथार व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के ग्राम चक गोदारान की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 6 में 15.938 हैक्टर रकबा दर्ज है, जिसमें 1/3 हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 1.104 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या–1 भादरराम के नाम अंकित है, जिसमें वादीगण को 1/5 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप ग्राम चक गोदारान के खाता संख्या 6 में प्रतिवादी संख्या–1 भादरराम के हिस्सा 1.104 हैक्टर रकबा में से 0.220 हैक्टर रकबा कलमजन कर वादीगण के नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्दों की पालना..... x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक30 .01.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)